

SUMMARU TRIAL UNDER SECTION 263 THE CRIMINAL PROCEDURE CODE 1998  
IN THE COURT OF A.K. Gupta, JMFC Gohad Dist Bhind (M.P.)

Case No. 282/17

Complaint or report made on .....

Name and address of the Complainant.....

श. का. गुप्ता  
नायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग  
विभाग पणन

Name, parentage, caste and address of accused

उदीप सिंह राजे सिंह मिकवार  
मि. - बरौवा चाना वागचकी बरेना

The offence, complaint of, and date of, its alleged commission

आप पर आरोप है कि दिनांक 28/10/17 मुकाम  
इडमान पटि काला पर बिना वैध अनुज्ञप्ति के अपने  
आधिपत्य में ..... लीटर/पाव/बोटल 25 शराब विक्रय/परिवहन हेतु रखी।

ऐसा करके आपने आबकारी अधि 1915 की धारा 34-1 (क) के अधीन दण्डनीय  
अपराध कारित किया।

क्या आपको उक्त अपराध स्वीकार है या प्रतिरक्षा चाहते हो।

The plea of the accused and his examination (if any)

अपराध स्वीकार है। यून दण्ड से दण्डित करने का निवेदन है।

उदीप सिंह

श. का. गुप्ता  
नायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग  
विभाग पणन

श. का. गुप्ता  
नायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग  
विभाग पणन

// निर्णय //


(आज दिनांक 9/11/17 को घोषित)

01. अभियुक्त के विरुद्ध आबकारी अधि० 1915 की धारा 34-1 (क) के अधीन दण्डनीय अपराध का अभियोग है। संक्षिप्त विचारणीय होने से समरी सीट पर अपराध विवरण पढ़कर सुनाये एवं समझाये जाने पर अभियुक्त ने स्वेच्छापूर्वक जुर्म/अपराध स्वीकार करना व्यक्त किया।

02. संक्षिप्त विचारण किया गया। अतः अभियुक्त की स्वेच्छापूर्वक स्वीकारोक्ति के आधार पर आबकारी अधि० 1915 की धारा 34-1 (क) के तहत आरोपी को दोषी ठहराया जाता है। उसकी पूर्व दोषसिद्धि के संबंध में अभिलेख पर कोई तथ्य मौजूद नहीं हैं।

03. अभियुक्त को आबकारी अधि० 1915 की धारा 34-1 (क) के तहत न्यायालय उठने तक की अवधि तक की सजा एवं रुपये 5000 शब्दों में ~~स्वेच्छापूर्वक रूप से~~ पाँच हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न पटाये जाने पर ~~अर्थदण्ड~~ का साधारण कारावास की सजा भुगतायी जावे।

04. जप्तशुदा सम्पत्ति ..... लीटर/पाव/बोतल 24 बोतल शराब मूल्यहीन एवं मानव उपयोग हेतु हानिकारक होने के कारण अपील अवधि पश्चात् नियमानुसार ~~अपील~~ की जावे। अपील के अभाव में मान्य अपील न्यायालय के आदेश का

  
मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग  
जिला मजिस्ट्रेट